

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर  
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103001122011

दांडिक प्रकरण क.-217/11

संस्थापित दिनांक-09.06.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। <div>.....अभियोजन</div>
<b>विरुद्ध</b>
01-कल्याण पुत्र केरन जाति हरिजन उम्र 35 वर्ष निवासी पिपरौद 02-फूलबाई पत्नी कल्याण हरिजन उम्र 32 वर्ष निवासी पिपरौद। <div>.....आरोपीगण</div>
राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपीगण द्वारा :- श्री योगेंद्र जैन अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 19.05.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 324, 323, 504, 34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी जमनाबाई ने दिनांक 14.04.11 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को करीबन एक-डेढ़ बजे घर के सामने हैंडपंप पर कपड़ा धोने पानी भरने गई, वहां पर उसकी चचिया सास फूलाबाई कपड़े धो रही थी। जब उसने उससे पानी भरने को कहा तो उसने कहा कि पहले कपड़े धो लेने दो फिर पानी भरना। फिर उसने कहा कि मुझे घर का काम करना है पानी भरने दो तब वह उससे गाली देकर बोली कि जा पानी नहीं भरने दूंगी। जब उसने कहा कि क्यों नहीं भरने दोगी तो उसने उसे पीछे सिर में मुंगरिया मार दी जिससे उसे चोट आई। मौके पर लक्ष्मण हरिजन आया जिसने बीच बचाव किया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 168/11 के अंतर्गत भादवि की धारा 324, 323, 504, 34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 324/34 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया। आरोपीगण ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 11.04.11 को समय 13.00 बजे ग्राम पिपरौद हैंडपंप के पास सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादिया जमनाबाई के साथ धारदार हथियार से मारपीट कर स्व0 साधारण उपहति कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 जमनाबाई, अ.सा. 02 राजन, अ.सा. 03 बल्लू, अ.सा. 04 लक्ष्मण, अ.सा. 05 एस पी सिद्धार्थ, अ.सा. 06 जोत सिंह, अ.सा. 07 रामसिंह, अ.सा. 08 सालिकराम, अ.सा. 09 राजेंद्र कुमार शर्मा, अ.सा. 10 कैलाश शर्मा की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 जमनाबाई ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानती हूं। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को वह हेंडपंप पर पानी भरने गई थी, जहां पर उसने डब्बा रख दिया था। उक्त साक्षी के अनुसार फूलाबाई ने उससे कहा कि डब्बा क्यों रखा है और एक लठ्ठ उसके पेट, कमर और सिर में मारा था जिससे उसे चोट आई। अ0सा0 01 के अनुसार कल्याण आया था और उसने बोला था कि लगे रहो मैं निपट लूंगा। अ0सा0 01 के अनुसार उसने घटना की रिपोर्ट प्र0पी01 लेखबद्ध कराई थी तथा पुलिस ने नक्सामौका प्र0पी0 2 बनाया था। अ0सा0 2 राजन ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को उसकी पत्नी जमनाबाई के साथ मारपीट हुई थी। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपीगण ने उसकी पत्नी को मुगरिया से मारा था, किंतु उसने मारते हुए नहीं देखा। अ0सा0 3 बल्लू के अनुसार घटना दिनांक को जमनाबाई और फूलबाई में मारा-कूटी हो गई थी तथा जमनाबाई के सिर में चोट लगी थी। अ0सा0 4 लक्ष्मण के अनुसार घटना दिनांक को वह हेंडपंप पर गया था जहां पर जमनाबाई एवं फूलबाई का झगडा हो गया था।

08— अ0सा0 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि उसकी आरोपीगण से पुरानी रंजिश चल रही थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसके शरीर में 8-10 चोटें आई थीं। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी कल्याण ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी तथा वह वहीं खड़ा था। अ0सा0 2 के अनुसार उसकी पत्नी को कई जगह चोटें आई थीं। अ0सा0 3 के अनुसार झगडे के समय आरोपी कल्याण मौके पर नहीं था। अ0सा0 4 के अनुसार उसने मारपीट की कोई घटना नहीं देखी। अ0सा 5 डा0 एस0पी0 सिद्धार्थ ने

अपने कथन में बताया है कि उन्होंने दिनांक 11.04.11 को जमनाबाई का मेडिकल परीक्षण किया था जिसमें उसके शरीर पर 5 चोटें पाई थीं। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त रिपोर्ट प्रपी0 5 तथा चोट क्र0 1 धारदार हथियार से आना संभव है। अ0सा0 5 के अनुसार उनके द्वारा प्रपी0 6 के माध्यम से क्वेरी के संबंध में अभिमत किया गया था कि यदि मुगरिया में धारदार किनारा हो तो चोट आना संभव है। इस प्रकार अ0सा0 5 की साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि उक्त घटना दिनांक को आहत जमनाबाई को धारदार मुगरिया से चोट आई थी। अ0सा0 1 एवं अ0सा0 2 ने अपने कथनों में स्पष्ट रूप से बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी फूलबाई द्वारा मुगरिया से मारपीट की गई थी। अ0सा0 3 एवं अ0सा0 4 की साक्ष्य से यह स्पष्ट हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को फरियादी एवं आरोपी फूलबाई के मध्य झगड़ा हुआ था। अ0सा0 3 जो कि अभियोजन साक्षी है उसके अनुसार आरोपी कल्याण घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था। अ0सा0 1 ने स्वयं अपने कथन में बताया है कि आरोपी कल्याण द्वारा उसके साथ कोई मारपीट नहीं की गई। उल्लेखनीय है कि अ0सा0 1 ने मात्र यह बताया है कि आरोपी कल्याण द्वारा यह बोला गया था कि मारो मैं देख लूंगा, किंतु एक भी साक्षी के साक्ष्य से यह प्रकट नहीं होता कि आरोपी कल्याण द्वारा फरियादिया जमनाबाई के साथ मारपीट की गई।

09— अ0सा0 6 जोतसिंह पक्षद्रोही हो गया है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसके समक्ष जप्ती की कार्यवाही हुई थी। अ0सा0 8 राजेन्द्र शर्मा ने अपने कथन में बताया कि उसने जीरो की एफ0आई0आर0 पर से असल कायमी की थी। अ0सा0 07 रामसिंह द्वारा प्रकरण में घटनास्थल का नक्शामौका प्रपी 02 तैयार किया जाना बताया है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए थे तथा आरोपी को गिरफ्तार किया था एवं जप्ती पंचनामा प्रपी 07 की कार्यवाही की थी। अ0सा0 08 द्वारा प्रकरण में अदम चेक रिपोर्ट प्रपी 01 लेखबद्ध करना बताया गया है तथा रिपोर्ट प्रपी 10 एवं क्वेरी प्रपी 06 करना बताया गया है। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि फरियादी द्वारा आरोपी कल्याण का नाम मारपीट के संबंध में

नहीं बताया गया था। इस प्रकार उक्त साक्षी की साक्ष्य से भी यह स्पष्ट है कि आरोपी कल्याण के विरुद्ध अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आई है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि आरोपी कल्याण ने फरियादी जमनाबाई के साथ धारदार हथियार से मारपीट की थी। अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि आरोपी फूलबाई ने फरियादी जमनाबाई के साथ मारपीट की थी। फरियादी जमनाबाई की साक्ष्य का अनुसमर्थन अ0सा0 02 लगायत अ0सा0 04 की साक्ष्य से हो रहा है तथा जिसकी संपुष्टि अ0सा0 05 की साक्ष्य से हो रही है।

10— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला आरोपी कल्याण के विरुद्ध प्रमाणित करने में असफल रहा है तथा आरोपी फूलबाई के विरुद्ध प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणामतः आरोपी कल्याण को भादवि की धारा 324/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है एवं आरोपी फूलबाई को भादवि की धारा 324/34 के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

11— आरोपी फूलबाई को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी फूलबाई एवं उनके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चन्देरी जिला—अशोकनगर

#### पुनश्च:—

12. आरोपी फूलबाई के विद्वान अधिवक्ता श्री योगेंद्र जैन का निवेदन है कि

उक्त अपराध आरोपी फूलबाई का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपी फूलबाई को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपी फूलबाई द्वारा उक्त अपराध धारदार हथियार से कारित किया गया है जिससे आहत जमनाबाई को पांच चोटें आई हैं। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यदि आरोपी फूलबाई को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपी फूलबाई को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

13. जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपी फूलबाई को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपी फूलबाई को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि किसी के द्वारा धारदार हथियार का उपयोग किया जाता है तो ऐसी दशा में उससे गंभीर चोट भी कारित हो सकती है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपी फूलबाई को भा.द.वि. की धारा 324/34 के अपराध में तीन माह के साधारण कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी फूलबाई 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगी। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।

14. आरोपीगण के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

15. प्रकरण में जप्तशुदा कुटनी मूल्यहीन होने से अपीलवाधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।

16. आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

17. आरोपी फूलबाई का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)